

**मांग संख्या 23**  
**मुख्य शीर्ष 2700**

**मद क्रमांक 1**

कोडार परियोजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान हेतु ` 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

तांदुला परियोजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान हेतु ` 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2701**

**मद क्रमांक 3**

आबियाना स्थापना के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 126.05 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,26,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

मंडल स्थापना के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 22.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 22,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

मुख्यालय स्थापना युनिट-एक के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 53.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 53,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

कार्यपालिक स्थापना के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु ` 702.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 7,02,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

मंडल स्थापना के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 71.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 71,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

मुख्यालय स्थापना युनिट-एक के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 164.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,64,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी) के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 59.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 59,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

कार्यपालिक स्थापना के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में ` 1941.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 19,41,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 से 12**

औजार एवं संयंत्र स्थापना के कार्यालय व्यय में ` 75.00 लाख एवं लघु मरम्मत में ` 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।